	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 24, बुधवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 16, 2019 *Asvina 24, Wednesday, Saka 1941–October 16, 2019*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 3,2019

जी.एस.आर.25 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (..III.....संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संषोधन.- राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 से संलग्न अनुसूची-I में शीर्ष सामान्य विंग के अधीन क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 7 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 2 वर्ष का अनुभव ।''

(सं. एफ.7(2)डीओपी/ए II/2006 पार्ट III)

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

उप शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, July 03 2019

GSR. 25.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service (III…Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, under the heading 'General Wing', the existing

expression appearing in column 7 against serial number 5 shall be substituted by the following, namely:-

"2 years' experience on the post of Assistant Administrative Officer".

[No. F. 7(2) DOP/A II/2006 Part III]

by order and in the name of the governor,

JAI SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।